

प्रारूप-ड
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

रा.प्र.कं. 202505031300018/अ-62/2024-25

प्रति,

श्रीमती जोहानी पति मतिरस, जाति उरांव
निवासी ग्राम कुदमुरा तहसील बगीचा
जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय :- रोपित वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

—00—

विषयान्तर्गत दिनांक 11.06.2024 को इस कार्यालय में वृक्ष कटाई हेतु आवेदन प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज किया गया प्रकरण में हल्का पटवारी, बी.एफ.ओ. के संयुक्त जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित प्रस्तुत करने हेतु ज्ञापन दिनांक 11.09.2024 को जारी किया गया। प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18/06/2024 को प्राप्त हुआ। प्राप्त संयुक्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रकरण में आवेदित भूमि ख.नं. 200/2 रकबा 1.060 हे. भूमि में सागौन के 210 पेड़, एवं खम्हार के 30 पेड़ आवेदक द्वारा रोपित खड़े अवस्था में जीवित पाए गए। 210 सागौन के एवं 30 खम्हार के पेड़ पूर्ण रूप से परिपक्व हो गये हैं, जो काटने योग्य हैं, उक्त वृक्ष को काटने हेतु अनुमति चाही गई है।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ ख.नं. 200/2 रकबा 1.060 हे. भूमि में सागौन के 210 पेड़, एवं खम्हार के 30 पेड़ को काटे जाने की अनुमति चाही गई है, जो आवेदक के भूमिस्वामी हक की भूमि में रोपित है। आवेदक के द्वारा दी गई जानकारी का विस्तृत रूप से परीक्षण किया गया, अतएव ग्राम कुदमुरा (बुल्हापानी) प. ह.नं. 37 रा.नि.मं. सरबकोम्बो स्थित आवेदक के भूमिस्वामी हक की भूमि ख.नं. 200/2 रकबा 1.060 हे. भूमि में सागौन के 210 पेड़, एवं खम्हार के 30 पेड़ जो पूर्ण रूप से परिपक्व हो गए हैं। उन वृक्षों को तहसीलदार, वनपरिक्षेत्राधिकारी की उपस्थिति में विदोहन किये जाने की अनुमति सशर्त दी जाती है। कटाई के पूर्व एवं कटाई के समय सम्पूर्ण कटाई की विडियोग्राफी की जावे।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (कं 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आदेश दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

क्रमांक/140/रीडर/2025
प्रतिलिपि :-



1. कलेक्टर जिला-जशपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल जशपुर को सादर सूचनार्थ।
3. वन परिक्षेत्राधिकारी सन्ना/बगीचा जिला-जशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार, तहसील बगीचा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. हल्का पटवारी ग्राम कुदमुरा प.ह.नं. 37 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वनरक्षक ग्राम कुदमुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.)
बगीचा, दिनांक 15/05/2025

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.)